

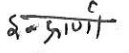
नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2019

विषय:-सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था के दौरान लापरवाही और/अथवा अप्रत्याशित कारणों से दुर्घटनाओं में मृत्यु/स्थायी निःशक्तता के मामलों में मुआवजे के दावों के निपटान के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिशानिर्देशों को अपनाना।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राइटर्स सेफगार्ड लिमिटेड बनाम आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम और अन्य के मामले में दिनांक 09.07.2015 के अपने आदेश एफएओ 154/2013 और सीएम सं. 5185/2013 में निदेश दिया है कि विभाग के कार्यस्थलों अथवा कार्यस्थानों पर जोखिमपूर्ण कार्य को करते हुए मृत होने वाले अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने वाले पीड़ितों अथवा पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। इन आदेशों के आलोक में दूर संचार विभाग ने अपेक्षित दिशा-निर्देश बनाए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि दूर संचार विभाग द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों को सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के अपनाया जाए।

2. तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था के दौरान लापरवाही से और/अथवा अप्रत्याशित कारणों से मृत्यु/स्थायी निःशक्तता पर पीड़ित और उनके परिवारों को मुआवजे के दावों के निपटान के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अपनाए जाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

3. "मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मुआवजे के दावे के निपटान के दिशा-निर्देश" सूचना / अनुपालन के लिए इसके साथ भेजे गए हैं। दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(इंद्राणी गुप्ता)
निदेशक (प्रशासन)

संलग्न:

1. सभी संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय।
2. सभी अनुभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय के सभी स्कंध/सुरक्षा सचिव का कार्यालय/ डीपीजी/ वीसीसी/ एनएसीडब्ल्यूसी और डीबीटी मिशन।
4. मंत्रिमंडल सचिव के स्टॉफ अधिकारी/ सचिव (समन्वय) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव (आरबी) के निजी सचिव/ अपर सचिव (एजी) के प्रधान निजी सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था के दौरान दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा के दावों के निपटान के लिए दिशानिर्देश।

प्रस्तावना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.07.2015 के अपने आदेश में सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था के दौरान लापरवाही और/अथवा अप्रत्याशित कारणों से मृत्यु/स्थायी निःशक्तता के मामलों में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों के आलोक में दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा संशोधन किए बिना अपनाया जाए। तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

1. **शीर्षक:** इन दिशानिर्देशों को मुआवजे के दावों के निपटान के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निर्देश कहा जाएगा।
2. **लागू होने की तिथि:** ये दिशा-निर्देश, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों को अपनाने के लिए पत्र जारी करने की तारीख से लागू होंगे।
3. **प्रयोज्यता:** ये दिशा-निर्देश, जीवन की क्षति अथवा स्थायी निःशक्तता जैसी दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुआवजे के दावों के निपटान को शासित करेंगे।
4. **परिभाषाएं:**

क) **दुर्घटना:** कोई भी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता, जो विभाग द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के रख-रखाव, संचालन और व्यवस्था के दौरान, पूरी तरह से और प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी अनपेक्षित और अप्रत्याशित चोट के परिणाम स्वरूप हुई हो।

ख) **सक्षम प्राधिकारी:** सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राय मंत्रिमंडल सचिव से है।

ग) **विभाग** अर्थात् मंत्रिमंडल सचिवालय।

घ) **आश्रित:** जैसा कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में परिभाषित किया गया है।

ड) अभिनामित अधिकारी: वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत दावों को प्राप्त करने और उसकी प्रक्रिया के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड(जेएजी) या समकक्ष ग्रेड का अभिनामित अधिकारी।

च) पीड़ित: इन दिशा-निर्देशों में यथा परिभाषित कोई भी व्यक्ति जो स्थायी रूप से निःशक्त हुआ हो या जिसकी मृत्यु हुई हो।

छ) स्थायी निःशक्तता: निःशक्तता, जो कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2(1) के परंतुक के अंतर्गत पूर्ण स्थायी निःशक्तता के रूप में वर्गीकृत है।

5. विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट: इन दिशा-निर्देशों की अनुसूची-1 के अनुसार पुलिस द्वारा घटना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर तैयार की गई रिपोर्ट।

स्पष्टीकरण:- विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट को तैयार करने के प्रयोजन के लिए, अनुसूची-1 में यथानिर्दिष्ट शब्द "चोट" का आशय, दिशा-निर्देशों के खंड 4(छ) में उल्लिखित "स्थायी निःशक्तता" से है।

6. दायित्व की सीमा: इन दिशा-निर्देशों के तहत यथा परिभाषित किसी भी "दुर्घटना" के होने पर, विभाग की ओर से चाहे कोई भी अनुचित कार्य, लापरवाही अथवा चूक हुई हो अथवा नहीं हुई हो एवं किसी भी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, विभाग निम्नलिखित अनुसार यथा निर्धारित सीमा तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा:

- i) मृत्यु होने या दोनों अंगों की क्षति के कारण स्थायी निःशक्तता की स्थिति में: रु. 10,00,000/- (दस लाख रुपए)
- ii) अन्य स्थायी निःशक्तता होने की स्थिति में: रु. 7,00,000/- (सात लाख रुपए)

7. मुआवजे के संबंध में दावों के निपटान की पद्धति

(क) पीड़ित या उसके/उसकी अश्रित(तों) उस अभिनामित अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दुर्घटना घटी हो, को 90 दिनों के भीतर एक आवेदन देंगे। आवेदक को यह वचनबद्धता देनी होगी कि जिस विशेष सरकारी संस्था में दावा किया गया है उसके अतिरिक्त दुर्घटना के कारण मृत्यु/चोट के लिए किसी अन्य सरकारी संस्था से कोई अन्य दावा नहीं किया गया है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

- i) पीड़ित का आयु प्रमाण-पत्र।
- ii) पीड़ित का मृत्यु प्रमाण-पत्र।

या

सरकार द्वारा अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी निःशक्तता प्रमाण-पत्र।

- iii) दुर्घटना से संबंधित दर्ज एफआईआर की एक प्रमाणित प्रति।
- iv) पीड़ित के साथ आवेदनकर्ता से संबंध का प्रमाण/आश्रितता का प्रमाण-पत्र।
- v) अभिनामित अधिकारी अपने/अपनी संतुष्टि के लिए दावों के निपटान हेतु आगे अन्य दस्तावेजों को मांग सकता है।

बशर्ते कि जहां एक से अधिक आश्रित हों वहां आवेदक को उनके नाम, पता एवं पीड़ित के साथ संबंध का उल्लेख करना अनिवार्य होगा और अभिनामित अधिकारी, मुआवजा जारी करने से पहले सभी को अपने स्वयं के विवेकाधिकार से नोटिस जारी कर सकेंगे।

- (ख) उपर्युक्त आवेदन प्राप्त होने पर, अभिनामित अधिकारी पुलिस प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट को ध्यान में रखेंगे और प्राथमिकता आधार पर मुआवजे के दावे पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भी दशा में उसके निपटान के लिए 30 दिनों से अधिक का समय नहीं लेगा।
- (ग) अभिनामित अधिकारी ऐसे मामलों में, जहां पीड़ित व्यक्ति/पीड़ितों के आश्रितों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वतः ही पीड़ित व्यक्ति/पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए विचार करने की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु स्वयं कार्रवाई कर सकता है।
- (घ) वर्तमान दिशा-निर्देशों के लागू होने की तारीख से, विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के साथ किसी लोक सेवा के रख-रखाव, प्रचालन और प्रावधान के लिए किए जाने वाले सभी अनुबंधों/करारों में एक धारा अनिवार्यतः शामिल किया जाएगा, कि इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उनके कामगारों को दिया गया मुआवजा ऐसे व्यक्ति, एजेंसी अथवा फर्म से वसूला जा सकेगा।
- (ङ) किसी भी मामले में अनुकंपा आधार पर किसी भी आश्रित की नियुक्ति का कोई दावा विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. मुआवजे के संवितरण की पद्धति

- i) इस प्रकार दिए गए मुआवजे की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी अथवा यदि राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा अस्तित्व में नहीं है, तो यह राशि निर्धारित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में पीड़ित/आश्रित (आश्रितों) के संयुक्त अथवा एकल खाते में जमा की जाएगी। जमा की गई इस राशि में से 75% (पचहत्तर प्रतिशत) राशि कम से कम एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में रखी जाएगी और शेष 25% (पच्चीस प्रतिशत) पीड़ित/आश्रित (आश्रितों) के उपयोग तथा आरंभिक खर्चों के लिए, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध रहेगी।

ii) नाबालिग व्यक्ति के मामले में, दिए गए मुआवजे की 75% राशि सावधि जमा खाते में रखी जाएगी और व्यस्क होने पर ही निकाली जा सकेगी, किन्तु जमा करने की तिथि से एक वर्ष से पहले नहीं निकाली जा सकेगी। बशर्ते कि, आपवादिक मामलों में विभाग के विवेकाधिकार पर लाभार्थी की शैक्षणिक अथवा चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है।

iii) राशि का ब्याज बैंक द्वारा सीधे पीड़ित/आश्रित (आश्रितों) के बचत खाते में मासिक आधार पर जमा किया जाएगा।

9. **अपील:** मुआवजे की राशि अथवा ऐसे दावे की अस्वीकृति के संबंध में अभिनामित अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी ऐसी अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लेगा।

10. **सुरक्षा:** मुआवजा योजना इस शर्त के अधीन लागू होगी कि पीड़ित अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी ने किसी सरकारी प्राधिकरण से ऐसी हानि अथवा चोट के लिए मुआवजा न लिया हो। तथापि, कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित नियोक्ता से और/अथवा इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मुआवजे के अतिरिक्त विभिन्न कल्याणकारी विधानों के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों के तहत मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

.....

भाग-I दुर्घटना का ब्योरा		
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख और धारा	
2.	पुलिस थाना का नाम	
3.	दुर्घटना का स्थान, तारीख, समय	
4.	पुलिस को दुर्घटना की सूचना किसने दी	
5.	पीड़ित को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति का नाम और अस्पताल का नाम	
6.	क्या किसी अस्पताल ने पीड़ित का उपचार करने से मना किया?	
7.	दुर्घटना की प्रकृति (i) क्या दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई या चोट या दोनों (ii) घायल लोगों/मृतकों की संख्या	
8.	जांच अधिकारी का नाम और संपर्क नं.	
9.	दुर्घटना के गवाहों के नाम	
10.	दुर्घटना का ब्योरा	

भाग-II पीड़ितों पर दुर्घटना का प्रभाव		
1.	मृत्यु के मामले में- (क) मृतक का नाम और पता (ख) आयु (ग) लिंग (घ) शिक्षा (ङ) व्यवसाय (च) आय (मासिक) (छ) कानूनी उत्तराधिकारी/संरक्षक (i) नाम	

	(ii) संबंध (iii) आयु (iv) पता (v) संपर्क नं.	
2.	घायल (स्थायी निःशक्तता) होने के मामले में (क) घायलों के नाम और पता (ख) आयु (ग) लिंग (घ) शिक्षा (ङ) व्यवसाय (च) आय (मासिक) (छ) पीड़ित के एमएलसी नं. पर आश्रित परिवार का ब्योरा (ज) चोट की प्रकृति (झ) अस्पताल का नाम, जहां घायल का उपचार हुआ (ञ) क्या पीड़ित को चिकित्सा उपचार देने से मना किया गया है (ट) अस्पताल में भर्ती की अवधि (ठ) उपचार की अवधि (ड) क्या उपचार जारी है (ढ) पीड़ित का उपचार करने वाले चिकित्सक(कों) का नाम, पता, संपर्क नम्बर (ण) क्या पीड़ित की कोई सर्जरी हुई है? यदि हां, तो ब्योरा दें (त) क्या स्थायी रूप से निःशक्त हुए हैं (थ) उपचार, वाहन, विशेष आहार, अटेंडेंट आदि पर किया गया व्यय। यदि उपलब्ध हों, तो ब्योरा दें । (द) क्या पीड़ित को उसके नियोक्ता से अथवा किसी मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है? यदि उपलब्ध हो, तों ब्योरा दें। (ध) क्या पीड़ित को बीमा कंपनी द्वारा कैशलेस उपचार दिया गया है? यदि उपलब्ध हो, तो ब्योरा दें।	
3.	कोई अन्य संगत सूचना	

भाग-III संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं		
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	
2.	सभी कोणों से दुर्घटना स्थल की तस्वीरें	
3.	पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयान	
4.	वैज्ञानिक रिपोर्ट, यदि पीड़ित मदिरा/ड्रग्स के नशे में था	
5.	मृत्यु के मामले में (क) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ख) मृत्यु प्रमाण पत्र (ग) मृतक की पहचान का साक्ष्य और फोटोग्राफ (घ) मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रमाण (ङ) मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के फोटोग्राफ, बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर का नमूना और पहचान पत्र (च) मृतक को दिए गए उपचार, अस्पताल का नाम और पता (छ) मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के बैंक खाता सं..	
6.	घायल होने के मामले में (क) एमएलसी (ख) अलग-अलग कोणों से लिए गए घायल के फोटोग्राफ (ग) घायल का फोटोग्राफ बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर का नमूना और पहचान पत्र (घ) निःशक्तता प्रमाण-पत्र	
7	कोई अन्य संगत सूचना	

सत्यापन

.....में वर्ष.....के को यह सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट की विषयवस्तु सत्य एवं सही है और भाग-III में उल्लिखित दस्तावेज सत्यापित किए गए हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त
(नाम और मोहर)

स्टेशन हाउस ऑफीसर
नाम और मोहर